राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एंव तृतीय तल
डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोनः– 0141–2705483 **Mail ID –rajssa_plan@yahoo.co.in**

कमांकः– रा.स्कू.शि.प. / जय / यू–डाइस / 2019–20 / 17291 दिनांक : 14/12/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
एवं जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले।

विषय :– यू–डाइस 2019–20 एवं शाला दर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों की विद्युतीकरण स्थिति में विसंगतियों के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि यू–डाइस डाटा एवं शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालयी सूचनाएं विद्यालय स्तर से भरी जाती है। इन सूचनाओं का सत्यापन ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। तदानुसार सत्यापित सूचनाएं ही राज्य को अग्रेषित की जा रही हैं। यू–डाइस 2019–20 में आपके जिले से राजकीय विद्यालयों (सूची संलग्न) को अविद्युतीकृत दर्शाया गया है। परन्तु उक्त अविद्युतिकृत राजकीय विद्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल पर विद्युतीकृत दर्शाया गया है। राज्य में ऐसे विद्यालयों की संख्या 8782 है। जो सूचना संप्रेक्षण में उदासीनता को दर्शाता है।

इस प्रकार की विसंगति से स्पष्ट होता है कि राजकीय विद्यालयों द्वारा भारत सरकार के यू–डाइस पोर्टल पर विद्युतीकरण से सम्बंधित सूचना का गलत इन्द्राज किया गया है एवं इनका सत्यापन कार्य भी नहीं हुआ है। उक्त कार्य घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विसंगति का कारण स्पष्ट करें एवं संलग्न सूची को जांच कर सही करायें, सही सूचना से परिषद् को 15.12.2020 तक अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। पत्र साथ संलग्न सूची को जॉच कर इस प्रकार की गलत सूचना देने वाले विद्यालयों के संस्थाप्रधान के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर परिषद् कार्यालय को अवगत कराये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(डॉ भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त राज्य परियोजना समन्वयकों को प्रेषित कर लेख है कि विसंगतियों का कारण स्पष्ट करें एवं विसंगतियों को दूर करवाकर सही सूचना प्रेषित करें।
6. रक्षित प्रति।

11.12.20
(एम.आर.बागड़िया)
अति.राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम)